

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (एस.डी.ओ.) सिवाना

पीठासीन अधिकारी : श्री प्रमोद सिरवी ,आर.ए.एस.

राजस्व आवेदन संख्या **65A/2019**

प्रार्थी	बनाम	विप्रार्थीगण
राजस्थान सरकार	जरिये	1.बाबुलाल पुत्र कोहलाराम
तहसीलदार समदड़ी		2.पुनमाराम पुत्र कोहलाराम
		3.भगवानाराम पुत्र कोहलाराम
		जति विश्नोई निवासी फुलण
		तहसील समदड़ी व जिला बाड़मेर

राजस्व आवेदन अन्तर्गत धारा 131,136 राजस्थान मू राजस्व

अधिनियम 1956

उपस्थित-1. पैरोकार सरकार,नायब तहसीलदार समदड़ी प्रार्थी की ओर से।

2. एकतरफा-विप्रार्थीगण

आदेश

दिनांक- 16.8.2019

1.संक्षेप में आवेदन के सुसंगत तथ्य इस प्रकार है। कि प्रार्थी की ओर से डिजिटल

नेशनल लैण्ड मोड्राईजेश प्रोग्राम के अन्तर्गत जमाबंदी एवं नक्शा लटढा मौका

स्थिति के अनुसार राजस्व रिकार्ड दुस्ती का कार्य किया जा रहा है। जिसके



उपखण्ड अधिकारी
सिवानी (बाड़मेर)


अन्तर्गत तहसील समदड़ी के राजस्व ग्राम फूलण के खाता संख्या 155 खसरा संख्या 269/130,344/130 कुल रकबा 34-03 बीघा किस्म रेतली राजस्व रिकार्ड (जमाबंदी) में दर्ज है। लेकिन राजस्व नक्शा लटढा में खसरा संख्या 130/33,130/15,130/22,130/23 दर्ज होने के कारण राजस्व रिकार्ड एवं लटढा नक्शों में एकरूपता नहीं है। अतः प्रार्थी द्वारा लटढा नक्शे में दर्ज खसरा संख्या 130/33,130/15,130/22,130/23 के स्थान पर जमाबंदी के अनुसार खसरा संख्या 269/130,344/130 लटढा नक्शा में दर्ज करवाने हेतु यह आवेदन प्रस्तुत किया है।

2. प्रार्थी का आवेदन दर्ज रजिस्टर किया गया। और विप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। विप्रार्थीगण के नोटिस तामील शुदा प्राप्त हुई। विप्रार्थीगण बावजूद नोटिस तामील होने के उपरांत भी हाजिर नहीं होने पर उनके विरुद्ध एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई गई।

3. प्रार्थी पक्ष की बहस सुनी गई। दौराने बहस प्रार्थी ने आवेदन के तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि प्रार्थी की ओर से डिजिटल नेशनल लैण्ड मोड्राईजेशन प्रोग्राम के अन्तर्गत जमाबंदी एवं नक्शा लटढा मौका स्थिति के अनुसार राजस्व रिकार्ड दुस्स्ती का कार्य किया जा रहा है। जिसके अन्तर्गत तहसील समदड़ी के



राजस्व ग्राम फूलण के खाता संख्या 155 खसरा संख्या 269/130,344/130 कुल रकबा 34-03 बीघा राजस्व रिकार्ड (जमाबंदी) में दर्ज है। लेकिन राजस्व नक्शा लटढा में खसरा संख्या 269/130,344/130 दर्ज न होकर खसरा संख्या 130/33,130/15,130/22,130/23 दर्ज है। जो अशुद्ध दर्ज हो रखे है, जिसके राजस्व रिकार्ड जमाबंदी एवं नक्शा लटढा में एकरूपता नहीं है। इस कारण नक्शा



उपखण्ड अतिरिक्त
सिकाना (बालासोर)

लटढा में दर्ज खसरा संख्या 130/33,130/15,130/22,130/23 विलोपित करते हुए उसके स्थान पर खसरा संख्या 269/130,344/130 दर्ज किया जावे। रिकार्ड दुरुस्ती करने से मौके की स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं होगा। अतः प्रार्थी का आवेदन स्वीकार किया जाकर विवादित भूमि के नक्शा लटढा में दर्ज खसरा संख्या 130/33,130/15,130/22,130/23 विलोपित करते हुए उसके स्थान पर खसरा संख्या 269/130,344/130 दर्ज करने का आदेश फरमावे।

5. हमने प्रार्थी पक्ष की बहस पर मनन किया और पत्रावली के सलग्न राजस्व रिकार्ड एवं मौका जांच रिपोर्ट का अवलोकन किया और विधि के परिप्रेक्ष्य में तथ्यों पर विवेचन किया। तहसीलदार समदड़ी की रिपोर्ट के अनुसार ग्राम फूलण तहसील समदड़ी की खसरा संख्या 269/130,344/130 कुल रकबा 34-03 बीघा किस्म रेतली राजस्व रिकार्ड (जमाबंदी) में दर्ज है। जबकि उक्त भूमि के नक्शा लटढा में खसरा संख्या 269/130,344/130 दर्ज न होकर खसरा संख्या 130/33, 130/15,130/22,130/23 अंकित है। इस प्रकार उक्त भूमि के जमाबंदी एवं लटढा नक्शा में एक समान खसरा नम्बर दर्ज नहीं है। और राजस्व रिकार्ड में एकरूपता भी नहीं है। एवं हितबद्ध काश्तकार के राजस्व रिकार्ड में एकरूपता होना भी जरूरी है। ताकि राजस्व रिकार्ड में एकरूपता बनी रहे। इस कारण उक्त भूमि के नक्शा लटढा में अंकित खसरा संख्या 130/33,130/15,130/22,130/23

विलोपित करते हुए जमाबंदी के अनुसार खसरा संख्या 269/130,344/130 नक्शा लटढा में दर्ज किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है, एवं ऐसा किये जाने से मौके की स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है। एवं तहसीलदार समदड़ी में भी नक्शा लटढा में दुरुस्ती किये जाने की अभिशंषा की गई है। व विप्रार्थीगण द्वारा भी प्रार्थी





उपखण्ड अधिकारी
सिन्धुगढ़ (सोनभद्र)


के आवेदन के संबंध में सहमति पत्र पेश किया गया। जिसमें स्वीकार किया गया कि हमारे राजस्व रिकार्ड (जमाबंदी) के अनुसार नक्शा लटढा में खसरा नम्बर अंकित किये जाते हैं, तो हमें कोई आपत्ति नहीं है इससे प्रतीत होता है। कि विप्रार्थीगण को प्रार्थी के आवेदन स्वीकार किये जानें की मौन स्वीकृति है। उपयुक्त विवेचन से स्पष्ट है, कि आवेदित प्रकरण के नक्शा लटढा में खसरा संख्या 269/130,344/130 दर्ज किया जाना न्यायोचित एवं विधि संगत है। ऐसी सूरत में प्रार्थी का आवेदन स्वीकार किये जाने योग्य है।

6. लिहाजा प्रार्थी का आवेदन लोकहित की भावना से स्वीकार किया जाकर ग्राम फूलण पटवार क्षेत्र सावरंड़ा तहसील समदड़ी के नक्शा लटढा में दर्ज खसरा संख्या 130/15,130/22,130/23 विलोपित करते हुए राजस्व रिकार्ड (जमाबंदी) में अंकित खसरा संख्या 344/130 एवं खसरा संख्या 130/33 विलोपित करते हुए राजस्व रिकार्ड (जमाबंदी) में अंकित खसरा संख्या 269/130 नक्शा लटढा में दर्ज किये जाने के आदेश दिये जाते हैं। तहसीलदार समदड़ी को आदेशित किया जाना है, कि तदनुसार राजस्व रिकार्ड (नक्शा लटढा) में अमल दरामद किया जाना सुनिश्चित करावें। तहसीलदार समदड़ी के द्वारा प्रस्तुत आवेदन के संलग्न नक्शा उक्त आदेश का अभिन्न अंग रहेगा।




उपखण्ड अधिकारी सिवाना

आदेश आज दिनांक 16.08.15 को लिखवाया जाकर खुले न्यायालय सुनाया गया।


उपखण्ड अधिकारी सिवाना
उपखण्ड अधिकारी
सिवाना (राजस्थान)

